(246)

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा म0प्र0

(370)

20 Rs. COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

676
24.6.14

R. 3500-III/14.

रमागोविन्द पाण्डेय पिता स्व0 जगन्नाथ पाण्डेय निवासी ग्राम बरसैता तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता

विरूद्ध

दिवाकर प्रसाद पाण्डेय पिता स्व0 रामानुज पाण्डेय निवासी ग्राम बरसैता तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानीकर्ता .

श्री दिलीप मिश्रा एड के द्वारा आज दिनांक 24-09-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 43/66/अपील/2012–13 आदेश दिनॉक 22.08.2014 जिसके द्वारा निगरानी कर्ता के स्वत्व /अधिपत्य निरस्त किया गया की निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा रही है ।

मान्यवर ,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारो पर निगरानी निवेदित है :–

1.) यह कि अपीलीय न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा का उक्त प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

2.) यह कि मौजा बरसैता देश की वादिया आराजी नं0 1445 रकवा 0.069 हे0 अर्सा 80 वर्ष पूर्व से आबादी/मकान बनाकर निगरानीकर्ता के पिता स्व0 जगन्नाथ गैरनिगरानीकर्ता के पिता एवं उनके पूर्वजों की सहमति से निगरानीकर्ता की माता आबाद रही आई वर्तमान में निगरानीकर्ता मालिक काबिज अधिकारी स्वत्व अधिपत्यधारी है ।

3223
आज
29-9-14

रमागोविन्द

(246)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R. 3500-पीठ/14 जिला— रीवा

रमागोविन्द पाण्डेय विरूद्ध दिवाकर प्रताप पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
17.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री दिलीप मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला........ के प्रकरण क्रमांक 43/अ-66/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 22-8-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	